

[उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा 5 (2) देखिये]

1- भूतपूर्व सदस्य का नाम _____

2- जिला _____

3- वाहन संख्या _____

4- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वाहन मेरे नाम से रजिस्ट्रीकृत है।
मैं विकल्प देता हूँ कि कूपन वर्ष _____ के दौरान मुझे दिए जाने
वाले रेल कूपनों में से मेरे वाहन संख्या _____ के लिए पेट्रोल या डीजल
हेतु सम मूल्य के रेल कूपनों के बजाय इस माह मुझे _____ रुपये नकद
दिया जाय।

(हस्ताक्षर) _____

(भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा)

(दिनांक) _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में प्राप्त की गई धनराशि रु० _____ का
उपयोग डीजल/पेट्रोल कच करने में कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर) _____

(भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा)

(दिनांक) _____